

# हरियाणा विधान सभा



## हरियाणा राज्य गीत चयन समिति

( हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना क्रमांक : 225-2023/Ext. )

चण्डीगढ़, दिनांक 22 दिसंबर, 2023

(प्रतिवेदन)

(सदन में प्रस्तुति 22 फरवरी, 2024)

हरियाणा विधान सभा सचिवालय, चण्डीगढ़।

## विषय – सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति की संरचना	3
2.	परिचय	4
3.	समिति का प्रतिवेदन	5-8

## हरियाणा राज्य गीत चयन समिति

( हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना क्रमांक : 225-2023/Ext.)

चण्डीगढ़, दिनांक 22 दिसंबर, 2023

### सभापति

1. श्री लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक

### उप-सभापति

2. श्री बिशम्बर सिंह, विधायक

### सदस्य

3. श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक
4. श्री जोगी राम सिहाग, विधायक
5. श्री नीरज शर्मा, विधायक

### हरियाणा विधान सभा सचिवालय

1. श्री राजेंद्र कुमार नांदल, सचिव, हरियाणा विधान सभा
2. श्री दिनेश कुमार, मीडिया एवं संचार अधिकारी, हरियाणा विधान सभा

## परिचय

1. हरियाणा राज्य गीत चयन समिति ने मुझे समिति की रिपोर्ट सदन पटल पर प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया है।
2. 20 फरवरी, 2024 को हरियाणा विधान सभा सचिवालय में आयोजित बैठक में समिति ने इस रिपोर्ट को अनुमोदित किया।
3. समिति की बैठकों की कार्यवाही का संक्षिप्त रिकॉर्ड हरियाणा विधान सभा सचिवालय में उपलब्ध है।
4. समिति सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग और कला एवं सांस्कृतिक विभाग के अधिकारियों और प्रतिनिधियों का आभार प्रकट करती है, आवश्यकता पड़ने पर समिति की बैठकों में उपस्थित रहे और जिनके सहयोग से समिति का कार्य समयानुसार संपन्न हो सका। इन अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है :-
  1. श्री राजेश खुल्लर, माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव
  2. श्री मनदीप बराड़, महानिदेशक, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग
  3. श्री विवेक कालिया, अतिरिक्त निदेशक, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग
  4. डॉ. दीपिका रानी, कला एवं सांस्कृतिक अधिकारी, कला एवं सांस्कृतिक विभाग
5. समिति हरियाणा विधान सभा के सचिव श्री राजेंद्र कुमार नांदल, मीडिया एवं संचार अधिकारी श्री दिनेश कुमार और मीडिया शाखा में सेवारत सभी कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

चंडीगढ़ :

22 फरवरी, 2024

(लक्ष्मण सिंह यादव)

सभापति

हरियाणा राज्य गीत चयन समिति

## राज्य गीत चयन समिति का प्रतिवेदन

हरियाणा के राज्यगीत के चयन हेतु हरियाणा विधान सभा के शीतकालीन सत्र 2023 के दौरान 15 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री की ओर से सदन में 3 गीतों के प्रारूप पेश किए गए थे। प्रस्तावित गीतों को सदन में सुनाया भी गया था। तत्पश्चात 19 दिसंबर 2023 को सदन में इन प्रारूपों पर विस्तृत चर्चा हुई। सदन ने गीत के चयन व उसमें आवश्यक सुधार के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया। इस संबंध में विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार 22 दिसंबर 2023 को हरियाणा राज्य गीत के चयन हेतु हरियाणा राज्यगीत चयन समिति का गठन किया गया। समिति ने गत 2 माह की अवधि में 5 बैठकें कीं, जिनका विवरण इस प्रकार है :-

बैठक	दिनांक
पहली बैठक	16.01.2024
दूसरी बैठक	30.01.2024
तीसरी बैठक	06.02.2024
चौथी बैठक	19.02.2024
पांचवीं बैठक	20.02.2024

हरियाणा विधानसभा सचिवालय में 16 जनवरी 2024 को आयोजित हरियाणा राज्यगीत चयन समिति की प्रथम बैठक में कमेटी के माननीय सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारीगण ने तीनों गीतों क्रमशः क, ख, ग का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया। इस दौरान सदन में माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी गहन विचार-विमर्श किया गया। अतः कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि तीन गीतों में से गीत - 'क' को आवश्यक संशोधन के साथ राज्यगीत के रूप में चयन किया जा सकता है।

गीत के भाव और भाषा सौंदर्य को लेकर माननीय सदस्यों और अधिकारीगण ने बहुमूल्य सुझाव दिए। समिति ने गीत की विषय वस्तु को हरियाणा के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, भौगोलिक संरचना और प्रदेश की विकास यात्रा के संदर्भ में परखने का प्रयास किया। समिति ने अनुभव किया कि गीत से कुछ अनावश्यक शब्द हटाए जाने चाहिए तथा कुछ नए शब्दों को समायोजित करने का भी निर्णय लिया गया।

इस दौरान समय-समय पर आयोजित बैठकों में लिए निर्णयानुसार सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग और कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग ने गीत में आवश्यक संशोधन के साथ उसे संगीतबद्ध करवाया। प्रत्येक संशोधन के पश्चात समिति ने गीत को बारंबार सुना। इस दौरान गीत के अर्थ और भावों को लय इत्यादि संगीत की कसौटियों पर परखा गया। एक बार ऐसा भी हुआ कि बैठक में अलग-अलग कलाकारों द्वारा संगीतबद्ध किए गए 7 संस्करणों को सुना गया। इस दौरान गीत से बनने वाले सुखद वातावरण व प्रदेश तथा प्रदेश से बाहर इसकी उपयोगिता का आंकलन किया गया। समिति ने इस बात का विशेष ख्याल रखा है कि गीत हरियाणवी बोली के गायकों के लिए भी सहज रहे, वहीं यह गीत राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रभावी हो।

गीत में हरियाणा के इतिहास को संजोये वैदिक काल की भाषा संस्कृत, हिन्दी और वर्तमान बोली हरियाणवी के शब्दों का संतुलित, तर्कसंगत व समन्वयपूर्ण प्रयोग किया गया है। संस्कृत भाषा में यहां के आतिथ्य और सेवा भाव जैसी विशेषताओं को लिपिबद्ध किया गया है।

समिति ने राज्यगीत में प्रदेश की उत्सवधर्मी संस्कृति और हरियाणवियों की सादगी जैसी मूल विशेषताओं को इंगित करने का प्रयास किया है। इसमें प्रदेशवासियों के आपसी भाईचारे, शिक्षा और व्यापार का भी विशेष वर्णन किया गया है। गीत में जहां हरियाणवी लोक जीवन को काव्यबद्ध किया गया, वहीं इसमें प्रदेश का गौरव बढ़ाते किसानों, वीर-सैनिकों और खिलाड़ियों के योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है।

समिति का मानना है कि यह गीत जहां प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सम्बल प्रदान करेगा वहीं, यह प्रदेश के कण-कण में व्याप्त राष्ट्र गौरव के भाव को भी पुष्ट करेगा। दिनांक 20 फरवरी 2024 को आयोजित समिति की बैठक में सभी माननीय सदस्यों तथा वरिष्ठ

अधिकारीगण की उपस्थिति में गीत की विषयवस्तु पर अंतिम निर्णय लिया गया। इस निर्णय अनुसार गीत की विषयवस्तु इस प्रकार है :-

जय जय जय हरियाणा  
जय जय जय हरियाणा  
पावन धरती वेदों की,  
जहां हुआ हरि का आणा ॥  
जय जय जय हरियाणा..... 2

1. गीता ज्ञान धरोहर इसकी,  
महाभारत इतिहास।  
मुकुट शिवालिक आधार अरावली,  
यमुना बहती पास।  
मौज मनावैं, कातक न्हावैं,  
पूरी मन की आस।  
सरस्वती के अमृत रस का,  
यहीं सदा है वास।  
सादा जीवन सादा बाणा,  
दूध दही का खाणा।  
जय जय जय हरियाणा .....2

2. छैल छबीले मर्द निराले,  
सुन्दर स्याणी नार।  
होली, दिवाली, ईद, गुरपुरब,  
मनते तीज त्योहार।  
भाईचारा जग से न्यारा  
बढे प्यार में प्यार।  
दिन दूणा अर रात चौगुणा,  
शिक्षा और व्यापार।  
बजते डेरू, ढोल, नगाड़े,  
सांग, रागणी गाणा।  
जय जय जय हरियाणा .....2

3. उपजाते हैं फसल सुनहरी,  
खेतों बीच किसान ।  
खेल खिलाड़ी मैडल लाकर  
करें देश का मान ।  
सीमाओं पर हरदम चौकस  
यहां के वीर जवान ।  
छोटा सा प्रदेश, देश की  
अजब निराली शान ।  
अतिथि देवो भवः यहां  
सेवा धर्म निभाणा ।  
जय जय जय हरियाणा .....2  
जय जय जय हरियाणा .....1

\*\*\*

हरियाणा राज्य गीत चयन समिति यह अनुशंसा करती है कि यह महान सदन इस गीत को राज्यगीत के तौर पर स्वीकार करें। तत्पश्चात, समिति यह भी अनुशंसा करती है कि सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग और कला एवं सांस्कृतिक विभाग इस गीत को संगीतबद्ध करवाकर इसकी उत्तम गुणवत्ता के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग तैयार करवाएं।

\*\*\*